

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-58/08 (खण्ड)-

/कृ०, पटना, दिनांकमई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री विवेक कुमार,
मेसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०,
रक्षा अपार्टमेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर,
ब्लॉक नं०-1, प्लॉट नं०-835,
एस० पी० वर्मा रोड पटना-1

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या 200 दिनांक 02.06.2009 का वैधता तिथि 31.12.2014 में नवीकरण के संबंध में।

महशाय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा उप निदेशक (पौ०सं०) पटना प्रमंडल, पटना के आधार पर एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों को उनके विनिर्माता प्रतिष्ठान के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि तक के लिए अनुज्ञप्ति सं०-200 दिनांक 02.06.2009 की वैधता तिथि 31.12.2016 के अन्तर्गत नवीकरण किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	वैधता तिथि
1	मेसर्स सरस्वती एग्रो केम (इण्डिया) प्रा० लि०, मोहाली / जम्मू	1	Fipronil - 0.3% GR	31-12-2015
		2	Imidachloprid - 17.8% SL	31-12-2015
		3	Pretilachlor- 50% EC	31-12-2015
2	मेसर्स एग्रीमास केमिकल्स लि०, सिकन्दराबाद	4	Carbendazim- 12%+Mancozeb-63%WP	31-12-2016
		5	CartapHydrochloride- 4%GR	31-12-2016
		6	Mancozeb - 75%WP	31-12-2016
		7	Pretilachlor - 50% EC	31-12-2016
		8	Tricyclazole - 75% WP	31-12-2016
3	मेसर्स सल्फर मिल्स लि० (गुजरात)	9	Sulphur - 80% WG	31-12-2016
4	मेसर्स पंजाब पेस्टीसाइड इन्डस्ट्रीयल, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लि०	10	Acephate 75% SP	31-12-2016
		11	Butachlor 50% EC	31-12-2016
		12	Atrazine 50% WP	31-12-2016
5	मेसर्स सुबोकेम इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०,	13	2,4-D Sodium salt Technical (Containing 80% w/w min)	31-12-2015
		14	2,4-D Amine salt 58% SL	31-12-2015

2- उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०, C/O मेसर्स हरनाथका कॉरपोरेशन, H/o नरेश यादव/सुरेश यादव, बड़ी पहाड़ी, जहानाबाद रोड, पटना।



3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0-200 दिनांक 02.06.2009 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

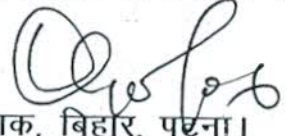
ज्ञापांक

2768

/कृ0, पटना, दिनांक 12 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।